रजि.ए.डी.

पश्चिम रेलवे
Western Railway

मण्डल रेल प्रबंधक कार्यालय,
रतलाम

संख्या:ईई/891/1/(दयापूर्वक)भाग-10 दिनांक :- 22 /01/2021

सेवा में,

श्रीमती जेमा पति स्वं.श्री कैलाश
ग्राम -भेरुगड़ , पोस्ट बड़ी रामगढ़ , तहसील- थांदला
जिला -झाबुआ (म.प्र.)

विषय:- रेल सेवा के दौरान कर्मचारी की मृत्यु होने पर कर्मचारी के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करने बाबत ग्रुप-"डी" स्टाफ सिविल इंजी.विभाग रतलाम मंडल।

संदर्भ:- इस कार्यालय का पत्र सं.ई/गोप./891/समुह-घ /भाग-10 दिनांक 24.12.2020.

****

मंडल रेल प्रबंधक रतलाम ने **श्रीमती जेमा पति स्वं.कैलाश मान सिंह पदनाम भूतपूर्व ट्रेकमेन्टेनर-lll** , अधिन **एसएसई(पीवे-दक्षिण)रतलाम** को इंजीनियरिंग विभाग मे पदनाम **खलासी** (**पीवे**) **वेतनमान रु.5200-20200 +1800 ग्रेडपे** (**लेवल-1**) मे नियुक्ति देने की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो पर प्रदान की है। उम्मीदवार को **मेडिकल प्रमाण पत्र संख्या:575621 दिनांक 08.12.2020** द्वारा **चिकित्सा श्रेणी Bee-One & & Below** मे योग्य पाया गया है। इनका समुदाय **अजजा** (**ST**) है। आपको **वरि.से.इंजी./पीवे-दक्षिण /रतलाम के अधीन खलासी** (**पीवे**) के पद **वे.मा.रु. 5200-20200 + 1800 ग्रेडपे** (**लेवल-1**) मे नियुक्ति देना प्रस्तावित हैं ।

नियुक्ति की शर्ते निम्नानुसार है :-

1. यदि आपको पत्र में दर्शाई गई समस्त शर्ते स्वीकार्य हो तो आप इस पत्र के प्राप्ती 07 दिन के भीतर अपनी लिखित में सहमति प्रदान करें तथा **दिनांक 12.02.2021** तक यह इससे पूर्व **सहायक मण्डल इंजीनियर** (**पुर्व**) **रतलाम** के कार्यालय में उपस्थित होवें अन्यथा इस नियुक्ति प्रस्ताव को निरस्त माना जावेगा । इस आदेश से आपको पदोन्नति आदि के लिये वरियता जिसकी सूचना बाद मे दी जाएगी, का दावा प्रस्तुत करने को पात्रता नही आती है।
2. आपकी प्रस्तावित नियुक्ति अस्थाई सेवाएँ 14 दिन की सूचना पर या उसके बदले मे वेतन देकर की जा सकती है । अस्थाई पद पर आपकी नियुक्ति के लिए आपको वरियतानुसार या स्थायीकरण के लिये नोटिस अवधि पूरी कर लेने के बाद ही विचार किया जा सकेगा।

   एतद् द्वारा यदि आपको आगे आवश्यकता से अतिरिक्त पाया जाता है तो आपकी सेवाएँ समाप्त की जा सकती है।
3. आपका स्थानांतरण इस रेलवे के किसी भी स्टेशन पर किया जा सकता है और आपको अपनी स्वीकृति पत्र में निश्चित रुप से यह उल्लैख करना है कि आप शर्तो का पालन करेंगे।
4. आपको सरकारी रेल कर्मचारियों को लागू होने वाले सभी नियमों और विनयमों का पालन करना होगा और आप रेल मंत्रालय द्वारा घोषित विभिन्न नियमों और पेंशन नियमों से शासित होंगे। दिनांक 01/01/2004 से लागू नई पेंशन नीति के लिये विकल्प देना होगा।

5. आपकी नियुक्ति इस बात पर निर्भर हैं कि -

1. आप अपनी जन्म दिनांक,उम्र का प्रमाण पत्र शाला / उपाधि का पत्र मूलत: इनके पंजीयन क्रमांक के साथ प्रस्तुत करते हैं ।
2. माध्यमिक शाला उच्चतर माध्यमिक शाला / उपाधि का पत्र मूलत: इनके पंजीयन क्रमांक के साथ प्रस्तुत करते हैं ।
3. आप अपने वर्तमान नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्रस्तुत करते हैं ।
4. नियुक्ति के बाद यदि यह पाया गया है कि आपके स्वेच्छा से गलत घोषणा प्रस्तुत है तो आप नौकरी से वंचित किये जा सकेंगे।

6. यह प्रत्येक पुरुष / महिला जो उक्त पद पर नियुक्त हुआ हैं यदि आवश्यक होने पर टी.एं.इंजी.यूनिट को सेनिक सेवा मे और रिजर्व सेवा मे क्रमश: 07 या 08 वर्षो हेतु या समय समय पर सूचित किये जाने पर इस अवधि के लिये नौकरी/ सेवा करनी होगी।
7. यह नियुक्ति अंनतिम हैं तथा उचित प्रक्रिया द्वारा शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र / अंक सूची एंव अनुसूचित जाति /जन जाति / अन्य पिछडा वर्ग ,प्रमाण पत्रों को सत्यापित कर दिये जाने पर ही मान्य होगीं तथा कभी सत्यापन से ज्ञात हो ता हैं कि अजा/अजजा/ओबीसी का दावा जैसा भी मामला हो झूठा/गलत हैं तो बिना कोई कारण बताये तुरन्त प्रभाव से आपकी सेवाऐं समाप्त कर दी जावेगीं तथा झूठा/गलत जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए भारतीय दण्ड संहिता के उपबंध के अधिन अगली कार्यवाही बिना किसी पूर्वाग्रह के की जावेगीं ।
8. संलग्न साक्ष्यांकन पत्र को पूर्ण रुप से भर कर लावें । सत्यापन कर्ता / प्रमाणितकर्ता आपसे संबंधित न हो । यह ध्यान रखा जावें । आप अपने अच्छें आचरण संबंधित चरित्र प्रमाण-पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी साथ में लावें ।
9. आप अपने साथ पेन कार्ड,बैंक पास बुक,आधार कार्ड की सत्यापित प्रति एवं केंसल किया हुआ चैक साथ में लावें । साथ में 05 पासपोर्ट साईज के फोटो ग्राफ भी लावें ।

संलग्न:- सांक्ष्यकंन प्रपत्र -01 प्रति में ।
चरित्र प्रमाण पत्र-01 प्रति में ।

Signed by AMAR SINGH SAGAR
Date: 22-01-2021 14:52:13
Reason: Approved

(ए.एस.सागर)
सहा. का. अधिकारी (II)
कृते-म.का.अ.-रतलाम

<u>प्रतिलिपि:-</u>
सहा मण्डल इंजीं.(पुर्व)रतलाम

कृपया उम्मीदवार को नियुक्ति देने से पूर्व नियुक्ति की सभी औपचारिकताऐं पूर्ण कर सेवा पुस्तिका बनावें और सेवा पुस्तिका मे उम्मीदवार का फोटो ,हस्ताक्षर एवं शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र तथा पारिवारिक विवरण पूर्ण कर भरें तथा शपथ दिलाकर सेवा पुस्तिका बनाई जाये एवं उसमे जाति/प्रमाण पत्र, जन्म दिनांक संबंधी प्रमाण पत्र एवं चिकित्सा पत्र भी संलग्न करवाये।

<u>नोट:</u> -उम्मीदवार द्वारा कार्यग्रहण की तारीख से 07 दिन के अंदर वेतन संबंधी दस्तावेज पूर्ण कर वेतन अनुभाग मंडल कार्यालय, रतलाम में अनिवार्य रुप से भिजवाये।